बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

(2.49)

संकल्प

पटना दिनांक

विषयः- नयी अंशदायी पेन्शन योजना के दिनांक 01-09-2005 के प्रभाव में आने से उत्पन्न समस्या का स्पष्टीकरण ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31-08-2005 के द्वारा नयी पेंशनं योजना 2005 लागू की गई है । इसके फलस्वरूप स्थिति यह है कि दिनांक 31-08-2005 तक राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त कर्मियों के मामले में बिहार पेंशन_ नियमावली 1950 और उक्त अन्तर्गत निर्गत परिपत्र पुरानी पेंशन स्कीम में प्रवृत रहेगी । पर उसके बाद नवनियुक्त कर्मियों के प्रसंग में नयी अंशदायी पेंशन स्कीम लागू होगी ।

2. राज्य सरकार के कर्मचारी सीधी नियुक्ति द्वारा निम्न पद से उच्च पद पर एक विभाग/संवर्ग/कार्यालय से दूसरे विभाग/संवर्ग/कार्यालय के अधीन जाते है यह कम पूर्व से ही चला आ रहा है । कई विभागों एवं कर्मचारी संगठन द्वारा इस विन्दु पर लगातार स्पष्टीकरण की भी मांग की जा रही है कि पुराने स्कीम द्वारा शासित दिनांक 31-08-2005 तक नियुक्त कर्मचारी पेंशन की पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ पा सकते है अथवा नहीं ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 31-08-2005 तक राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग/संवर्ग/कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित स्वायत निकाय में किसी पद पर नियुक्त हुए थे और जो बिहार पेंशन नियमावली 1950 तथा इसके अन्तर्गत निर्गत परिपत्रों द्वारा शासित होते थे, उनके द्वारा राज्य सरकार के ही किसी ऐसे विभाग/संवर्ग/कार्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित किसी ऐसे स्वायत निकाय जहाँ दिनांक 31-08-2005 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 और इसके अन्तर्गत निर्गत परिपत्र में पुरानी पेंशन स्कीम पहले से ही विद्यमान थी, में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 01-09-2005 से अथवा उसके बाद विधिवत विरमित होने पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 101 "ख" में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत त्याग पत्र देने पर भी उक्त सुविधा सुलभ होगी ।

4. उपर्युक्त मामलों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की आगामी अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के० एम० शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-वि0(27)पे0को0-53/2003/...768 वि०...../वि0,पटना, दिनांक 03/7/07

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार [illegible] को [illegible] एवं आवश्यक [illegible] हेतु प्रेषित ।

(के0 एम0 शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-.........768 वि०......................../वि0, पटना, दिनांक 03/7/07

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 एम0 शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।